लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाष: 0755–2583650, फैक्स: 2583651, ई–मेल: **coord-dpi@mp.gov.in**

क्रमांक/समन्वय/बी/2018/206 भोपाल, दिनांक 4.10.18

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषय:–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 24.09.2018 का कार्यवाही विवरण बावत्।

विषयान्तर्गत दिनांक 24.09.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा0क्रमांक/समन्वय/बी/2018/207 भोपाल, दिनांक 4.10.18

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 24.9.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरणः—

दिनांक 24.9.2018 को आयुक्त,लोक शिक्षण की अध्यक्षता में वीडियों कान्फ्रेसिंग मंत्रालय के कक्ष क्र0—66 में आयोजित की गई। बैठक में संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ—साथ मैदानी अधिकारियों ने भाग लिया। कान्फ्रेसिंग में प्राचार्य, उ0मा0वि0 को भी बुलाया गया था। वीडियों कान्फ्रेसिंग में निम्नानुसार निर्देश दिये गये :—

1. अध्यापकों के संविलियन के संबंध मेंः—

- आयुक्त महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि अध्यापक संवर्ग के संविलियन प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही की जावें, ताकि आचार संहिता लगने के पूर्व आदेश जारी हो सके। इसी प्रकार समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, सतना, रीवा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जिले में चार विकासखण्डों में लोकायुक्त जॉच चल रही है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि जिन विकासखण्डों में जॉच चल रही है वहॉ के प्रकरणों को होल्ड पर रखने के निर्देश आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा दिये गये। अधिकांश संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि उनके पास यूजर्स कम होने के कारण अधिक कार्य नहीं हो पा रहा है। आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि संयुक्त संचालक स्तर पर अधिक यूजर्स उपलब्ध कराये जायें ताकि अधिक समय नहीं लगे। मान्य/अमान्य संबंधी कार्य दिनांक 27.9.2018 तक संपन्न करने के निर्देश दिये गये ताकि अंतिम आदेश दिनांक 30.9.2018 तक जारी हो सके।
- श्री डी.एस. कुशवाह, अपर संचालक द्वारा अध्यापक संवर्ग के संविलियन के मुद्दे पर समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश जिलों ने पी.डी.एफ. अपलोड नहीं किए हैं। ये जिले है—सीधी, नीमच, रतलाम, होशंगाबाद, भोपाल, मंदसौर, राजगढ, विदिशा, मुरैना, अशोक नगर, छतरपुर, खण्डवा, इंदौर, भिण्ड, बुरहानपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरोली उक्त जिले अपलोड नहीं किये गये है। तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिये गये।
- सत्यापन के बाद पात्र—अपात्र व्यक्तियों की प्रविष्टि करना थी, जिन जिलों द्वारा प्रविष्टि की गई है वे जिले हैं— सीधी, रायसेन, बालाघाट, हरदा, नीमच, सागर, उज्जैन तथा शेष जिलों में पूर्ण रूप से प्रविष्टि नहीं की गई है। 4 जिलों में 95 प्रतिशत प्रविष्टि की गई है, ये जिले हैंः—बैतूल, होशंगाबाद, धार, एवं खरगौन। जिलों द्वार मान्य—अमान्य की सूची जारी करना थी परंतु कई जिलों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है, ये जिले हैं— छिंदवाडा, उमरिया, भिण्ड,

बुरहानपुर, शिवपुरी एवं सिंगरोली। अतः अपर संचालक द्वारा निर्देश दिये गये कि 25–26 जिले ऐसे है जहॉ पर कार्य लंबित हैं उनके द्वारा कार्यवाही तुरंत की जाये।

2. सी.एम.हेल्पलाईन के संबंध में:–

- संचालक, लोक शिक्षण द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान संचालक, लोक शिक्षण ने बताया कि जिला स्तर पर अधिक संख्या में सी.एम. हेल्पलाईन प्रकरण लंबित है। इनका निराकरण शीघ्र करें। एल–4 पर वर्तमान में 5 हजार प्रकरण लंबित है। उक्त प्रकरणों को एल–3 लेवल पर ही कार्यवाही कर फोर्स क्लोज किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि एल–4 लेबल पर प्रकरण नहीं आने पायें। उक्त कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें।

3. एक परिसर एक शाला:–

- एक परिसर एक शाला के सत्यापन के संबंध में निर्देश दिये जा चुके है लेकिन यह कार्य संतोषजनक नहीं है। जिन जिलों द्वारा कार्य किया है वे संतोषजनक जिले है। अशोक नगर, बालाघाट, वैतूल, सिंगरोली, उज्जैन, पन्ना, रायसेन, राजगढ में संतोषजनक कार्य हुआ है। अधिकांश जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है। कुछ जिले ऐसे हैं जहॉ पर प्रविष्टि शून्य दिखाई दे रही है। गूगल शीट पर डाटा फीड करने के संबंध में ब्लॉक स्तर पर ऑरियेंटेशन प्रोग्राम आयोजित कर लिया जाये। इस कार्य में धार, गुना, मंडला, सीधी जिले बहुत पिछडे हुए।

4. साईकिल वितरण एवं छात्रावास व्यवस्था के संबंध में:–

- सुश्री कामना आचार्य, अपर संचालक द्वारा बालक/बालिकाओं हेतु निःशुल्क सायकिल वितरण योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि उक्त जानकारी समग्र शिक्षा पोर्टल पर दी जानी थी लेकिन अधिकांश जिलों से यह जानकारी अपेक्षित है। दमोह जिले में 7365 छात्र पात्र है लेकिन स्वीकृति केवल 07 बच्चों की दी गई है। टीकमगढ जिले में 4 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। अतः निर्देश दिये गये कि दिनांक 27.9.2018 तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जायें।
- छात्रावास:– उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्रावास खोले जाने है साथ ही इन्हें 2 अक्टूबर, 2018 से चालू करना है इस हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये थे। प्रायवेट भवन जो कि छात्रावास के लिये किराये पर लिये गये थे उनके लिये राशि प्रदाय कर दी गई है। अशोक नगर, भोपाल, भिंड, दमोह, गुना,

होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा, मुरैना, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, सतना, शाजापुर श्योपुर, टीकमगढ उक्त जिलों में शासकीय भवन में छात्रावास संचालित करेंगे और पत्र द्वारा सूचित किया जावें कि सारी व्यवस्थायें पूर्ण कर ली गई है। साथ ही छात्रावासों के लिये सामग्री क्रय की जानी है इसके संबंध में शीघ्र निर्देश दिये जा रहे है।

5. शिक्षकों के सम्मान एवं पुरस्कार के संबंध में:–

- श्री शिंताशु शुक्ला, संयुक्त संचालकः– समीक्षा के दौरान बताया गया कि हाईस्कूल तथ हायर सेकेण्डी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन के लिये विद्यालयों / शिक्षकों हेतु सम्मान और पुरस्कार योजना लागू की गई है। इसके लिये विद्यालयों /शिक्षकों को सतत प्रेरित करते रहने की आवश्यकता है। विद्यालयों/शिक्षकों को अच्छे प्रदर्शन हेतु सम्मानित/पुरस्कृत करने से अन्य शिक्षकों को भी बेहतर कार्य और प्रदर्शन के लिये प्रेरित किया जा सकता है। इस हेतु विद्यालयों/शिक्षकों हेतु सम्मान और पुरस्कार योजना अंतर्गत पॉच श्रेणियों में सम्मान/पुरस्कार दिये जायेंगे :–

1. जिला स्तरीय प्रेरक सफलता की कहानियों/नवाचारों की प्रतियोगिता पर आधारित तिमाही प्रशस्ति पत्र।
2. राज्य स्तरीय प्रेरक सफलता की कहानियों/नवाचारों की प्रतियोगिता पर आधारित छमाही प्रशस्ति पत्र।
3. अकादिमिक मानीटरिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को राज्य स्तरीय छमाही प्रशस्ति पत्र।
4. अकादमिक मॉनीटरिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को राज्य स्तरीय छमाही प्रशस्ति पत्र।
5 निरंतर उत्कृष्टता प्रदर्शन आधारित राज्य स्तरीय निवेश आधारित छमाही पुरस्कार।

उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु संचालनालय से दिनांक 17.9.2018 को पत्र प्रसारित किये जा चुके है। जिसमें विश्व शिक्षक दिवस 5.10.2018 को पुरस्कारों का वितरण किया जावेंगा। उक्त कार्य समय सीमा का होने के कारण समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

6. वर्चुअल क्लासः–

- वर्चुअल क्लास से संबंधित समीक्षा की गई जिसमें बताया गया दिनांक 08.09.2018 से 313 केन्द्रों द्वारा ही मात्र 72 केन्द्रों पर लोगिन किये गये है। अशोक नगर में स्थिति अच्छी नहीं है। इस संबंध में आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा निर्देश दिये गये कि कस्टोडियन टीचर को नोटिस जारी किया जाये।

अतः निर्देश दिये गये कि कस्टोडियन टीचर और नोडल अधिकारी की डेली उपस्थिति ऑन लाईन प्राप्त की जावें। जिससे शत प्रतिशत वर्चुअल क्लास चालू हो सके। अतः निर्देश दिये गये कि 30.9.2018 तक शत प्रतिशत वर्चुअल क्लास प्रारंभ हो सके।

7. समेकित छात्रवृत्ति योजनाः–

- आयुक्त, लोक शिक्षण ने वर्ष 2018–19 की मेपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन की जिलेवार समीक्षा करते हुए अवगत कराया कि गत वर्ष की 1.45 करोड की तुलना में अद्यतन 1.30 करोड विद्यार्थियों की मेपिंग की गई है। लेकिन प्रोफाइल अपडेशन केवल 46.42 लाख विद्यार्थियों का हुआ है। जिले है– अलीराजपुर, रायसेन, डिंडोरी, सीधी, राजगढ, भोपाल, धार, इंदौर, रीवा में प्रोफाइल अपडेशन अत्यंत कम किये जाने पर अत्यंत अप्रसन्नता व्यक्त की एवं दिनांक 27.9.2018 तक शीघ्र मेपिंग प्रोफाइल अपडेशन का पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी।
- डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की जानकारी गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किये जाने हेतु अंतिम रूप से 01 जुलाई 2018 तक समय सीमा दी गई परंतु अभी भी जिला आगर मालवा, अनूपपुर, बुरहानपुर, दमोह, झाबुआ, मुरैना द्वारा प्रविष्टि नहीं की गई है एवं रतलाम, गुना द्वारा अपूर्ण जानकारी प्रविष्टि की गई है। जानकारी दिनांक 27.9.2018 तक प्रविष्टि किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्ष 2018–19 हेतु डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की जानकारी गूगल ड्राइव पर प्रविष्टि किये जाने एवं संकायवार पात्र विद्यार्थियों की सूची संचालनालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु केवल जिले– बडवानी, बालाघाट, देवास, गुना, भोपाल, कटनी, नीमच, राजगढ, रतलाम, अशोक नगर द्वारा गूगल ड्राइव पर प्रविष्टि की गई है एवं जिला सागर, सीहोर, विदिशा, बैतूल, बडवानी वितरा की जानकारी प्रविष्टि नहीं की गई है। पात्र विद्यार्थियों की संकायवार स्वीकृति सूची जिला सीधी, डिंडोरी, उज्जैन, गुना, रतलाम, सिवनी, छिंदवाडा, नीमच, खरगौन , सीहोर बालाघाट, नरसिंहपुर, राजगढ से प्राप्त हुई है। अतः उक्त जानकारी तत्काल गुगल ड्राइव पर प्रविष्टि किये जाने एवं संचालनालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- पूर्व वर्षो में मेपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित होने वाले विद्यार्थियों के प्रकरणों के एकजाई निराकरण हेतु

मेपिंग/प्रोफाइल से वंचित विद्यार्थियो की (वर्ष 2013–17 से 2016–17) तक की जानकारी प्रपत्र–1 में गूगल ड्राइव पर अंकित करने एवं छात्रवृत्ति पात्रता विषयक जानकारी प्रपत्र–2 में संचालनालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु प्रपत्र–1 की जानकारी जिला बैतूल, डिंडोरी, ग्वायिर, कटनी, खरगौन,रतलाम, सागर, सीहोर, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, रीवा, रायसेन, धार, अशोक नगर, बडवानी, सीधी, खण्डवा, भिण्ड, भोपाल, सिंगरौली, देवास द्वारा गूगल ड्राइव पर प्रविष्टि की गई है। एवं प्रपत्र–2 की जानकारी जिला सागर, सिवनी, धार, खरगौन द्वारा संचालनालय को प्रेषित की गई है। अतः उक्त जानकारी दिनांक 27.9.2018 तक गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किये जाने एवं संचालनालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

8. **बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाः–**

- केन्द्र प्रवर्तित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 के एन. एस.पी. पोर्टल पर पात्र छात्राओं के आवेदन के संस्था एवं जिला स्तर पर सत्यापन की सुविधा एम.एच.आर.डी. द्वारा दिनांक 30.9.2018 तक के लिये पुनः प्रारंभ की गई है। जिलेवार सत्यापन हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी ई–मेल द्वारा प्रेषित की गई है। अतः दिनांक 29.9.2018 तक शतप्रतिशत प्रकरणों की सत्यापन करावें।

9. **शारीरिक शिक्षाः–**

- खेल गतिविधियों हेतु संचालनालय से जिलों/संभागों को बंटन उपलब्ध कराया गया है। नियमानुसार राशि आहरण व व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें। राशि व्ययगत होने पर पुनः बंटन नहीं दिया जायेगा।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

3/x/18

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश